

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 23/05/2014

प्रति,

1. शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषय : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय-सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ : म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/14/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 14 मार्च 2014 ।

= 0 0 =

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 2 में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (दो) के पश्चात् स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया गया है । इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

2/ इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित वे सदस्य होंगे, जिनकी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथा विनिश्चित आय सीमा के भीतर हो ।

3/ अतः उक्त संशोधन के तारतम्य में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय-सीमा "पेंशन सहित समस्त स्त्रोतों से आय रुपये एक लाख वार्षिक" एतद् द्वारा निर्धारित की जाती है ।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 19/14/2772/13/नियम/चार दिनांक 03-01-2014 द्वारा दी गई है ।


(सूरज चंदार)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर ..2..

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 3/6/2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ ।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय म.प्र. ।
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, म.प्र. ।
5. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
6. समस्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. ।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग